

पत्रावली पेश हुई।

09/10/19

वादीनी अधिवक्ता ने पत्रावली तलब करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पत्रावली आज दिनांक 09.10.2019 को तलब कर तारीख पेशी पर सुनवाई हेतु रखी गई। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की।


पत्रावली में तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्रा० डिक्की के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभय पक्ष अधिवक्ताओं ने इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र काश्मीर, तह० शिव के खेत खसरा नम्बर 1096/480 रकबा 90 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र.स.	नाम खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	श्रीमती समदा देवी पत्नी भीखाराम, जाति-रबारी सा० बायतु चिमनजी तह० बायतु खातेदार	गोरसियों का तला खाता सं० 197	1096/480	72.00	बा.दो.	6.48	हरा
2.	श्रीमती टीपूदेवी पत्नी पूनमाराम, जाति-जाट, सा०देह खातेदार	गोरसियों का तला खाता सं० 197	1096/480	9.00	बा.दो.	0.81	लाल
3.	श्रीमती हीरोदेवी पत्नी रूगाराम, जाति-जाट, सा०देह खातेदार रहन पी. एन.बी. उण्डू	गोरसियों का तला खाता सं० 197	1096/480	9.00	बा.दो.	0.81	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा तदनुसार डिक्की पर्चा जारी हो।


सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाँडमेर

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 09.10.2019 को सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा
(आदेश, 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 232/2018

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वदीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती समदा देवी पत्नी भीखाराम, जाति-रबारी नि0 बायतु चिमनजी तह0 बायतु हाल निवासी गोरसियों का तला, काश्मीर तह0 शिव		1. श्रीमती टीपूदेवी पत्नी पूनमाराम 2. श्रीमती हीरोदेवी पत्नी रूगाराम जाति-जाट, नि0 गोरसियों का तला काश्मीर तह0 शिव 3. शाखा प्रबन्धक पजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू तह0 शिव

निर्णय

वादी की ओर से श्री बालाराम गोदारा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी की उपस्थिति में आज तारीख 09.10.2019 को उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव ग्राम गोरसियों का तला पटवार क्षेत्र काश्मीर तह0 शिव के खसरा नम्बर 1096/480 रकबा 90 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	श्रीमती समदा देवी पत्नी भीखाराम, जाति-रबारी सा0 बायतु चिमनजी तह0 बायतु खातेदार	गोरसियों का तला खाता सं0 197	1096/480	72.00	बा.दो.	6.48	हरा
2.	श्रीमती टीपूदेवी पत्नी पूनमाराम, जाति-जाट, सा0देह खातेदार	गोरसियों का तला खाता सं0 197	1096/480	9.00	बा.दो.	0.81	लाल
3.	श्रीमती हीरोदेवी पत्नी रूगाराम, जाति-जाट, सा0देह खातेदार रहन पी. एन.बी. उण्डू	गोरसियों का तला खाता सं0 197	1096/480	9.00	बा.दो.	0.81	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

